बिहार सरकार
शिक्षा विभाग।
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

:: आदेश ::

पटना / दिनांक–12-01-2026

संचिका संख्या–07 / प्रो० –03–08 / 2025 142 / शिक्षा विभाग बिहार सरकार के आदेश संख्या–2558 दिनांक–09.09.2025 के तहत गठित समिति द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में पूर्व के आदेश ज्ञापांक–4207 दिनांक–22.11.2025 में परिवर्द्धनोपरांत बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त्त) संशोधन नियमावली 2023 में कक्षा 6 से 8 तक के विद्यालय अध्यापक को कक्षा 6 से 8 तक के "वरीय विद्यालय अध्यापक" एवं कक्षा 11 से 12 तक विद्यालय अध्यापक को कक्षा 11 से 12 तक के "वरीय विद्यालय अध्यापक" के रूप में प्रोन्नति (स्वस्थानिक उत्क्रमण) का प्रावधान है।

इसी प्रकार बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली, 2023 में कक्षा 6 से 8 तक के विशिष्ट शिक्षकों को कक्षा 6 से 8 तक के "वरीय विशिष्ट शिक्षक" एवं कक्षा 11 से 12 तक के विशिष्ट शिक्षक को कक्षा 11 से 12 तक "वरीय विशिष्ट शिक्षक" के रूप में प्रोन्नति (स्वस्थानिक उत्क्रमण) का प्रावधान है।

उक्त नियमावली के प्रावधान के तहत कक्षा 6 से 8 के विद्यालय अध्यापक / विशिष्ट शिक्षक एवं कक्षा 11 से 12 के विद्यालय अध्यापक / विशिष्ट शिक्षक को नियमावली में प्रोन्नति के लिए निर्धारित समय अवधि के अनुरूप वरीय विद्यालय अध्यापक / विशिष्ट शिक्षक के रूप में प्रोन्नति (स्वस्थानिक उत्क्रमण) हेतु स्थानीय निकाय अन्तर्गत प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में किये गए कार्यावधि की गणना करना सुनिश्चित करेंगें।

(दिनेश कुमार)
सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–07 / प्रो० –03–08 / 2025 142 / पटना, दिनांक–12-01-2026

प्रतिलिपि:–मुख्य सचिव, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–07 / प्रो० –03–08 / 2025 142 / पटना, दिनांक–12-01-2026

प्रतिलिपि:–सभी अपर मुख्य सचिव, बिहार / सभी प्रधान सचिव, बिहार / सभी सचिव, बिहार / महालेखाकार, बिहार / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार / सभी निदेशक, शिक्षा विभाग / माननीय मंत्री शिक्षा विभाग के आप्त सचिव / सभी जिला पदाधिकारी, बिहार / राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् पटना / सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, बिहार / सभी उप विकास आयुक्त / सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी / सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी / सभी कोषागार पदाधिकारी / उप कोषागार जिला पदाधिकारी / सभी संबंधित नियोजन ईकाई के अध्यक्ष, सचिव एवं अन्य सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।